POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 22.02.2024

1.थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस व एस.टी.एफ मुख्यालय लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये फर्जी कॉल सेन्टर खोलकर लोगों से इण्डिया बुल फाईनेन्स के नाम से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके लाखो रूपये ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टर माइंड सहित 08 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से प्रयोग किये जा रहे भारी मात्रा में उपकरण बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.02.2024 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस व एस.टी.एफ मुख्यालय लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये फर्जी कॉल सेन्टर खोलकर लोगों से इण्डिया बुल फाईनेन्स के नाम से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके लाखो रूपये ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टर माइंड सहित 08 अभियुक्तों 1.अंकित 2.विजेन्द्र प्रताप व 06 अभियुक्ता 1.प्रिया शुक्ला 2.छाया सिंह(मास्टमाइंड) 3.आंचल चौधरी 4.सुलेखा 5.अर्चना 6.शिवानी को सी-4, सेक्टर-63 से **गिरफ्तार** किया गया। इनके कब्जे से 1-17 एटीएम/क्रेडिट कार्ड, 2-35 मोबाइल फोन, 3-13 पीएक्टीवेटेड सिमकाड, 4-02 टेब, 5-03 लैपटाप, 6-01 डीएल, 7-01 निर्वाचन कार्ड, 8-04 आधार कार्ड, 9-11,190 रूपये नगद, 10-13 हिसाब के रजिस्टर, 11-75 वर्क फर्जी 12-एक स्वीफ्ट डिजायर कार सीजशुदा 13- एक लाख से भी अधिक कस्टमर का डेटा बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग सी-4 सेक्टर-63 में कॉल सेन्टर चलाते है, जिसमें हम लोग Mobile पर कॉल करके इण्डिया बुल फाईनेन्स से जरूरतमंद लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे जीएसटी पेय कराने के नाम पर पैसे UPI के माध्यम से डलवा लेते है। जितनी लोन की धन राशि होती थी उसी के अनुपात में हम लोन, फाईल चार्ज तथा जीएसटी लेते थे इस तरह लोगो को कॉल करके लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखो रूपये की ठगी करते थे। ग्राहकों को डेटा जस्ट डॉयल व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म से प्राप्त किया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- छाया सिंह पुत्री प्रताप सिंह निवासी छिजारसी, नोएडा स्थायी पता कानपुर देहात।(मास्टमाइंड)
2- प्रिया शुक्ला पत्नी तुषार शुक्ला निवासी चौगानपुर, ग्रेटर नोएडा।
3- आंचल चौधरी पुत्री वेदपाल चौधरी निवासी थाना सिकन्दराबाद, जिला हापुड़।
4- सुलेखा पत्नी नवीन निवासी छपरौला गिरधरपुर, थाना छपरौला, जिला गाजियाबाद।
5- अर्चना प्रजापति पत्नी अंजय सिंह निवासी सै0-62, गौतमबुद्धनगर।
6- शिवानी पुत्री राजू ठाकुर निवासी किसनपुर, थाना मोदीनगर, जिला गाजियाबाद।
7- अंकित पुत्र शीशपाल सिंह निवासी नंगला फिरोज मोहनपुर, थाना नन्दग्राम, जिला गाजियाबाद।
8- सोनू उर्फ विजेन्द्र प्रताप सिंह चौहान पुत्र सत्यपाल सिंह चौहान निवासी जादेशाहपूर्वा, थाना सोरिख, जिला कन्नौज।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1- मु0अ0सं0 74/2024 धारा 419/420/467/468/471/34 भादवि व 66 डी आईटीएक्ट थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- 17 एटीएम/क्रेडिट कार्ड,
2- 35 मोबाइल फोन,
3- 13 पीएक्टीवेटेड सिमकाड,
4- 02 टेब,
5- 03 लैपटाप,
6- 01 डीएल,
7- 01 निर्वाचन कार्ड,
8- 04 आधार कार्ड,
9- 11,190 रूपये नगद,
10- 13 हिसाब के रजिस्टर,
11- 75 वर्क फर्जी
12- एक स्वीफ्ट डिजायर कार सीजशुदा
13- एक लाख से भी अधिक कस्टमर का डेटा

2.थाना सेक्टर-20 पुलिस व CRT/स्वाट-2 की संयुक्त टीम द्वारा जूम ऐप के माध्यम से लग्जरी कार रेन्ट पर लेकर गांजा तस्करी करने वाले 02 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 क्विन्टल 02 किलोग्राम गांजा अवैध (अन्तरराष्ट्रीय अनुमानित कीमत लगभग 22-25 लाख रूपये) व घटना में प्रयुक्त 02 लग्जरी कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण--- दिनांक 22.02.2024 की रात्रि में थाना सेक्टर-20 नोएडा पुलिस व CRT/स्वाट-2 की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा द्वारा गोपनीय सूचना की सहायता से गांजा तस्करी करने वाले 02 शातिर तस्कर (1)विकास शर्मा पुत्र ब्रज मोहन शर्मा व (2) कपिल चौधरी पुत्र चन्द्रपाल सिंह को विनायक हॉस्पिटल/अट्टा अन्डरपास के आगे की तरफ से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 01 क्विंटल 02 किलोग्राम गांजा अवैध जिसकी अन्तरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 22-25 लाख रूपये एवं घटना में प्रयुक्त 02 कार (1)स्कोर्पियों-एन रंग काला रजि0 नं0 UP 82 AQ 2727 व (2)रेनोल्ट काईगर कलर चैरी ब्राउन रजि0 नं0 UP 14 FR 4489 बरामद की गई है।

अपराध करने का तरीका एवं महत्वपूर्ण तथ्य--

1. यह एक अन्तर्राज्जीय गांजा तस्कर गिरोह है, जिसका मास्टर मांइड कपिल चौधरी है जो पूर्व मे अपने साले की हत्या के आरोप में जेल भी जा चुका है। अभियुक्त कपिल चौधरी उपरोक्त अपने साथियों मामा-भांजा के साथ मिलकर गांजा तस्करी का यह काम पिछले 03 महीनों से लगातार कर रहे है।
2. मास्टर माइंड कपिल चौधरी के निर्देशन में मामा-भांजा क्रमशः विकास शर्मा (गिरफ्तार) व कुनाल(फरार) जूम ऐप के माध्यम से लग्जरी कार किराए पर लेकर उडीसा, शिलॉन्ग आदि से 10,000 प्रति किलोग्राम की कीमत पर गांजा खरीद कर लग्जरी कारों में पुलिस से छिपाकर लाते है।
3. यह गिरोह खरीदे गए गांजे को दिल्ली एनसीआर आदि क्षेत्र में 20,000 प्रति किलों की कीमत पर ओन डिमांड बेचते हैं तथा प्राप्त रकम से अय्याशी करते हैं।
4. यह गिरोह गांजा उत्पादक राज्यों से अवैध गांजा खरीदने हेतु जूम ऐप के माध्यम से किराए पर ली गई लग्जरी कारों से कार में खाली जगह जैसे बोनेट के FRONT FENDER /SIDE COVER एवं कार इन्जन के आस-पास रख कर पुलिस से छिपाकर लाते हैं। गांजे को कार के इन्जन के पास इसलिए भी रखते है जिससे इंजन से निकलने वाली गर्मी से गांजे की मादकता को बढाया जा सके।

अभियुक्तों का विवरण--

1. विकास शर्मा पुत्र ब्रज मोहन शर्मा निवासी ब्रह्मपुत्र इक्लेव, सिद्धार्थ विहार, थाना विजयनगर, गाजियाबाद।
2. कपिल चौधरी पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम चंचलपुर, थाना स्हौरा, बिजनौर।

फरार/वांछित अभियुक्त का विवरण--

1. कुनाल उर्फ गोलू पुत्र जितेन्द्र कुमार

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0037/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-20, नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

अभियुक्त कपिल चौधरी--

1. मु0अ0सं0 387/2013 धारा 302 थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 क्विंटल 02 किलोग्राम गांजा (अवैध)
2. 02 कार (1)स्कोर्पियों-एन रंग काला रजि0 नं0 UP 82 AQ 2727 व
3. रेनोल्ट काईगर कलर चैरी ब्राउन रजि0 नं0 UP 14 FR 4489

3.थाना फेस-2 पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त रक्त रंजित अवैध चाकू बरामद।

घटना का विवरण--- दिनांक 21.02.24 को मुकदमा वादी द्वारा थाना फेस-2 नोएडा पर सूचना दी गयी कि मेरा साला विनीत कुमार ओला कम्पनी में गाड़ी चलाता है, जो कि दिनांक 21.02.24 को मेरे घर सेक्टर-105 में घायल अवस्था में आया और बताया कि वह(वादी का साला) गाजियाबाद से दीपक नाम के लड़के को अपनी गाड़ी से याकूबपुर बुकिंग कर लाया था जिसने याकूबपुर पहुँचकर वादी के साले को जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया था। वादी की सूचना पर थाना फेस-2 नोएडा पर मु0अ0सं0 75/2024 धारा 307 भादवि बनाम दीपक पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.02.24 को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त होते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुये दिनांक 22.02.24 को उपरोक्त घटना का सफल अनवारण करते हुये घटना कारित करने वाले अभियुक्त-दीपक कुमार पुत्र शिव प्रसाद निवासी सेहुंडा, थाना बारा, जनपद प्रयागराज वर्तमान पता सेक्टर-87, नोएडा, गौतमबुद्धनगर उम्र 19 वर्ष को थाना क्षेत्र के नया गांव पुस्ता से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित चाकू को मदरसन कम्पनी के पीछे की झाड़ियो से बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. दीपक कुमार पुत्र शिव प्रसाद निवासी सेहुंडा, थाना बारा, जनपद प्रयागराज, वर्तमान पता नया गांव, सेक्टर-87, नोएडा, गौतमबुद्धनगर उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0-75/2024 धारा 307 भादवि 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-2, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त एक रक्त रंजित अवैध चाकू